फर्द अहकाम

सुधा बनाम आशा व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 60/2013

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
17/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार आमेर से प्रकरणाधीन भूमि के संबंध में मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त मौके पर कोई कच्चा, पक्का निर्माण आदि नहीं होना तथा भूमि पर वर्तमान में कोई फसल नहीं होना अंकित किया गया है। पूर्व में भूमि पर काश्त वादीगण व [illegible] की होना कथन किया गया है। अत: पत्रावली वास्ते उचित अंतिम आदेश। नियत दिनांक 30/04/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण उपस्थित। उभयपक्षकारान की बहस अंतिम व तर्कों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात तथा तहसीलदार आमेर की मौका रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। वादी के प्रस्तुत वादपत्र व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि [illegible] वादी अथवा वादी के [illegible] खातेदारी भूमि [illegible] स्वयं वादीगण [illegible] पक्षी-1, पक्षी [illegible] गिरदावरी संवत 2012-2015, 2016-2019, 2020-2023 व पक्षी 25 जमाबंदी खतौनी संवत 2008-2027 के अनुसार	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

सूआ बनाम भोरा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 60/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/4/25	वादग्रस्त भूमि राज. काश्त अधि० के प्रभाव में आने के पूर्व से ही प्रतिवादी-1 के पूर्वज सांवता (सांवलिया) पुत्र रामनाथ के नाम एकल कब्जा काश्तधारी के रूप में दर्ज रही है तथा राज. काश्त. अधि. के प्रभाव में आने पर खसरा गिरदावरी सम्वत 2012-2015 (प्रदर्श 1) के अनुसार भी भूमि वादग्रस्त खसरा नं. 668, 670, 670/737 प्रतिवादी-1 के पूर्वज सांवता (सांवलिया) पुत्र रामनाथ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित दर्ज है। जो प्रतिवादी-1 के पूर्वज के निरन्तर बदस्तूर अंकित है। वादी द्वारा खसरा गिरदावरी सम्वत 2020-2033 अनुसार कृषक के रूप में प्रतिवादी-1 के पूर्वज सांवलिया पुत्र रामनाथ के साथ उपकृषक के वादी का नाम अंकित होने मात्र के आधार पर एवं प्रतिकूल कब्जे के अवधारणा के अन्तर्गत प्रतिवादी-1 की प्रचलित अभिलिखित खातेदारिता को भूमि की खातेदारी अधिकारिता चाही गई है जबकि निरन्तर खसरा गिरदावरियों में प्रतिवादी-1 के पूर्वज का नाम बतौर कृषक स्पष्ट [illegible] काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही [illegible] कब्जा काश्त [illegible] ऐसी स्थिति में उपकृषक [illegible] कृषक / खातेदार की भूमि की [illegible] प्राप्त करने का वादी का कोई औचित्य पूर्ण अधिकार सिद्ध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो लगान रसीदें प्रदर्श 7, से प्रदर्श 20 तथा प्रदर्श 40, 41 स्वयं वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई है

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

सूआ बनाम भोरा व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 60/2013

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/4/25	उनके अनुसार भी खातेदार / भूमिधारी का नाम सांवलिया पुत्र रामनाथ (प्रतिवादी 1 का पिता) स्पष्ट रूप से अंकित है। यद्यपि लगान राशि वादी सूआ द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है, परन्तु भूमिधारी की ओर से राशि जमा कराने मात्र के आधार पर जमाकर्ता को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही स्वयं वादी के प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श 38 व प्रदर्श 39 लगान रसीद दिनांक 03.8.55 जो कि राज. काश्त अधिनियम के प्रभाव में आने (वर्ष 1955) पर प्रतिवादी-1 के पिता सांवलिया पुत्र रामनाथ के नाम जारी है, वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में कब्जा काश्त प्रतिवादी-1 के पिता सांवलिया (सांवता) पि. रामनाथ को सिद्ध / प्रदर्शित करती है तथा साक्ष्य दस्तावेज वादी प्रदर्श 25 जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008-2027 जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2007-2027 भी राज. काश्तकारी अधि. प्रभाव में आने के पूर्व की स्थिति अनुसार भी कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारिता प्रतिवादी 1 के पिता सांवलिया पुत्र रामनाथ की प्रदर्शित करती है। इस प्रकार स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर प्रतिवादी-1 के पूर्वज सांवता के कृषक के रूप में कब्जा काश्त व लगान अदा के आधार पर प्रदत्त खातेदारिता के पश्चात आगामी वर्षों के राजस्व रिकार्ड व खसरा गिरदावरियों में कृषक के रूप में प्रतिवादी 1 के पूर्वज के साथ उपकृषक मात्र के	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मूधा बनाम भोरा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 60/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/5/15	रकबा में दर्ज स्वयं के नाम के अंकन के आधार पर खातेदारिता प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है जबकि प्रचलित कब्जा काश्त व खातेदारिता के रूप में मूल कृषक के साथ उपकृषक के रूप में नाम के अंकन मात्र के आधार पर खातेदारिता का औचित्य पूर्ण व सक्षम आधार वादी को प्राप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भी मात्र प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी प्रदत्त नहीं की जा सकती है। तथा काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही प्रचलित काश्तकार खातेदार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि की खातेदारिता सवर्ण जाति के व्यक्ति को प्रदत्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वादी कृषि वादग्रस्त की खातेदारी अधिकारिता प्राप्त करने के सन्दर्भ में सक्षम आधार को सिद्ध नहीं कर सका है तथा तहसीलदार रिपोर्ट की मौकातिहा अनुसार वादी के कब्जा काश्त आदि को सिद्ध नहीं करती है। अतः वाद वादी सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर

इजलास **डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 60/2013 **निर्णय दिनांक : 30.04.2025**

1. झूथा पुत्र मोहना (मृतक)
   1/1 मु. छोटी बेवा झूथा (मृतक)
   1/2 ग्यारसा पुत्र स्व. श्री झूथा (मृतक)
   1/2/1 श्रीमती रमा देवी धर्मपत्नी स्व. श्री ग्यारसा
   1/2/2 रूडमल पुत्र स्व. श्री ग्यारसा
   1/2/3 सेडू पुत्र स्व. श्री ग्यारसा
   1/2/4 मदन पुत्र स्व. श्री ग्यारसा
   1/2/5 सुरेश पुत्र स्व. श्री ग्यारसा
   समस्त जाति गुर्जर निवासी पीलवा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/2/6 श्रीमती धोली पुत्री स्व. श्री ग्यारसा धर्मपत्नी श्री छाजूराम जाति गुर्जर निवासी बासणा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
   1/2/7 श्रीमती जवाहरी पुत्री स्व. श्री ग्यारसा धर्मपत्नी श्री ताराचन्द जाति गुर्जर निवासी बासणा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
   1/3 प्रभात पुत्र स्व. श्री झूथा (मृतक)
   1/3/1 श्रीमती गुल्ली धर्मपत्नी स्व. श्री प्रभात
   1/3/2 अर्जुन पुत्र स्व. श्री प्रभात
   1/3/3 श्रवण पुत्र स्व. श्री प्रभात
   1/3/4 ताराचन्द पुत्र स्व. श्री प्रभात
   समस्त जाति गुर्जर निवासी पीलवा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/3/5 श्रीमती काली पुत्री स्व. श्री प्रभात धर्मपत्नी श्री रामकरण जाति गुर्जर निवासी बडोदिया तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
   1/3/6 श्रीमती पन्नी पुत्री स्व श्री प्रभात धर्मपत्नी श्री देवकरण जाति गुर्जर निवासी लाम्या, तहसील आमेर जिला जयपुर।
   1/4. गोपाल पुत्र स्व. श्री झूथा
   1/5. काना पुत्र स्व. श्री झूथा
   समस्त जाति गुर्जर निवासी पीलवा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
   1/6. केशरी पुत्री स्व. श्री झूथा धर्मपत्नी प्रभात (मृतक)
   1/6/1. कालूराम पुत्र श्री प्रभात जाति गुर्जर निवासी गोनाकासर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
   1/6/2. बलराम पुत्र श्री प्रभात जाति गुर्जर निवासी गोनाकासर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
   1/6/3. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री श्री प्रभात पत्नी श्री बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
   1/6/4. श्रीमती माया देवी पुत्री श्री प्रभात पत्नी श्री जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम मामटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
   1/7. सूजी पुत्री स्व. श्री झूथा धर्मपत्नी रामू जी जाति गुर्जर निवासी कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर। (मृतक)
   1/7/1. शैतान पुत्र स्व. श्रीमती सूजी जाति गुर्जर, निवासी कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/7/2. सूरज्ञान पुत्र स्व. श्रीमती सूजी जाति गुर्जर, निवासी कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/7/3. श्रीमती प्रभाती देवी पुत्री स्व. श्रीमती सूजी पत्नी श्री भगवान सहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम राडावास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
   1/7/4. श्रीमती लाडा देवी पुत्री स्व. श्रीमती सूजी पत्नी श्री भगवान सहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम [illegible] जयपुर।
   1/7/5. श्रीमती बिदामी देवी पुत्री स्व. श्रीमती [illegible] कालूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुल्तानपुर [illegible] जयपुर।
   1/8 लादी पुत्री स्व. श्री [illegible] निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर [illegible]

वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1. भौरा पुत्र सावता (मृतक)
   1/1. मु. गुल्ली बेवा भौरा (मृतक)
   1/2. कजोड पुत्र स्व. भौरा (मृतक दौराने वाद)
   1/2/1 भागा देवी पत्नि स्व. कजोड
   1/2/2 प्रकाश पुत्र स्व. कजोड
   1/2/3 राजू पुत्र स्व. कजोड

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

1/2/4 अशोक पुत्र स्व. कजोड
1/2/5 मनीष पुत्र स्व. कजोड
1/2/6 निमूडी पुत्र स्व. कजोड
1/2/7 सीमा पुत्री स्व. कजोड
समस्त जाति मीणा निवासीयान पीलवा तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/3. सूगल्या पुत्र स्व. श्री भौरा जाति मीणा निवासी पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर
1/4. काली पुत्री भौरा धर्मपत्नि श्री श्रवण जाति मीणा निवासी ग्राम सुरेठी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
1/5 मु. धापा पुत्री भौरा पत्नी श्री बाबूलाल निवासी बिशनगढ़ तहसील बैराठ जिला जयपुर।
2. कजोड़ पुत्र भौरा जाति मीणा निवासी पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. गोरू पुत्र श्री भरता जाति मीणा (मृतक)
4. हनुमान पुत्र श्री भरता (मृतक)
5. सरदारा पुत्र चन्द्रा (मृतक)
5/1. श्रीमती केशर देवी पत्नि स्व. श्री सरदारा निवासी ग्राम पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5/2. कल्याण पुत्र स्व. श्री सरदारा
5/3. जगदीश पुत्र स्व. श्री सरदारा
5/4 श्रवणलाल पुत्र स्व. श्री सरदारा
5/5 कैलाशचंद पुत्र स्व. श्री सरदारा
5/6 मुकेश पुत्र स्व. श्री सरदारा
समस्त जाति गूर्जर निवासी पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5/7. विमला देवी पुत्री स्व. श्री सरदारा धर्मपत्नि श्री रामकुवार जाति गूर्जर निवासी खैरवाडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
5/8. बिला देवी पुत्री स्व. श्री सरदारा धर्मपत्नि श्री नन्छू जाति गूर्जर निवासी खैरवाडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. भगवाना पुत्र चन्द्रा (मृतक)
6/1 श्रीमती झूमा पत्नी स्व. श्री भगवान
6/2. भंवरलाल पुत्र स्व. श्री भगवाना
6/3. नाथूराम पुत्र स्व. श्री भगवाना
समस्त जाति गूर्जर निवासी पीलवा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी द्वारा राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर प्रतिवादी 1 के पूर्वज सांवता के कृषक के रूप में कब्जा काश्त व लगान देयता के आधार पर प्रदत्त खातेदारिता के पश्चात आगामी वर्षो के राजस्व रिकॉर्ड व खसरा गिरदावरियों में कृषक के रूप में प्रतिवादी 1 के पूर्वज के साथ उप कृषक मात्र के रूप में दर्ज स्वयं के नाम के अंकन के आधार पर खातेदारिता प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है जबकि प्रचलित कब्जा काश्त व खातेदारिता के रूप में मूल कृषक के साथ उप कृषक के रूप में नाम के अंकन मात्र के आधार पर खातेदारिया का औचित्य पूर्ण व सक्षम आधार वादी को प्राप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भी मात्र प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकारिता प्रदत्त नहीं की जा सकती है। तथा काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही प्रचलित काश्तकार खातेदार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि की खातेदारिता सवर्ण जाति के व्यक्ति को प्रदत्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वादी भूमि वादग्रस्त की खातेदारी अधिकारिता प्राप्त करने के संदर्भ में सक्षम आधार को सिद्व नहीं कर सका है। अतः वाद वादी सिद्व नहीं होने से खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...04.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर
ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुद्दालेह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		[illegible]		
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अ[illegible]	02	
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर
वाद संख्या : 60/2013

निर्णय दिनांक :30.04.2025

1. झूथा पुत्र मोहना (मृतक)
   1/1 मु. छोटी बेवा झूथा (मृतक)
   1/2 ग्यारसा पुत्र स्व. श्री झूथा (मृतक)
   1/2/1 श्रीमती रमा देवी धर्मपत्नी स्व. श्री ग्यारसा
   1/2/2 रूडमल पुत्र स्व. श्री ग्यारसा
   1/2/3 सेडू पुत्र स्व. श्री ग्यारसा
   1/2/4 मदन पुत्र स्व. श्री ग्यारसा
   1/2/5 सुरेश पुत्र स्व. श्री ग्यारसा
   समस्त जाति गुर्जर निवासी पीलवा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/2/6 श्रीमती धोली पुत्री स्व. श्री ग्यारसा धर्मपत्नी श्री छाजूराम जाति गुर्जर निवासी बासणा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
   1/2/7 श्रीमती जवाहरी पुत्री स्व. श्री ग्यारसा धर्मपत्नी श्री ताराचन्द जाति गुर्जर निवासी बासणा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
   1/3 प्रभात पुत्र स्व. श्री झूथा (मृतक)
   1/3/1 श्रीमती गुल्ली धर्मपत्नी स्व. श्री प्रभात
   1/3/2 अर्जुन पुत्र स्व. श्री प्रभात
   1/3/3 श्रवण पुत्र स्व. श्री प्रभात
   1/3/4 ताराचन्द पुत्र स्व. श्री प्रभात
   समस्त जाति गुर्जर निवासी पीलवा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/3/5 श्रीमती काली पुत्री स्व. श्री प्रभात धर्मपत्नी श्री रामकरण जाति गुर्जर निवासी बडोदिया तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
   1/3/6 श्रीमती पन्नी पुत्री स्व. श्री प्रभात धर्मपत्नी श्री देवकरण जाति गुर्जर निवासी लाम्या, तहसील आमेर जिला जयपुर।
   1/4. गोपाल पुत्र स्व. श्री झूथा
   1/5. काना पुत्र स्व. श्री झूथा
   समस्त जाति गुर्जर निवासी पीलवा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
   1/6. केशरी पुत्री स्व. श्री झूथा धर्मपत्नी प्रभात (मृतक)
   1/6/1. कालूराम पुत्र श्री प्रभात जाति गुर्जर निवासी गोनाकासर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
   1/6/2. बलराम पुत्र श्री प्रभात जाति गुर्जर निवासी गोनाकासर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
   1/6/3. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री श्री प्रभात पत्नी श्री बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
   1/6/4. श्रीमती माया देवी पुत्री श्री प्रभात पत्नी श्री जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम मामटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
   1/7. सूजी पुत्री स्व. श्री झूथा धर्मपत्नी रामू जी जाति गुर्जर निवासी कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर। (मृतक)
   1/7/1. शैतान पुत्र स्व. श्रीमती सूजी जाति गुर्जर, निवासी कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/7/2. सूरज्ञान पुत्र स्व. श्रीमती सूजी जाति गुर्जर, निवासी कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/7/3. श्रीमती प्रभाती देवी पुत्री स्व. श्रीमती सूजी पत्नी श्री भगवान सहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम राडावास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
   1/7/4. श्रीमती लाडा देवी पुत्री स्व. श्रीमती सूजी पत्नी श्री भगवान सहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम बा[illegible] आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/7/5. श्रीमती बिदामी देवी पुत्री स्व. श्रीमती [illegible] कालूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुल्तानपुरा, तहसील चौमू, जिला [illegible]पुर।
   1/8 लादी पुत्री स्व. श्री [illegible] जैतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi
Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण

बनाम

1. भौरा पुत्र सावता (मृतक)
   1/1. मु. गुल्ली बेवा भौरा (मृतक)
   1/2. कजोड पुत्र स्व. भौरा (मृतक दौराने वाद)
   1/2/1 भागा देवी पत्नि स्व. कजोड
   1/2/2 प्रकाश पुत्र स्व. कजोड

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

1/2/3 राजू पुत्र स्व. कजोड
1/2/4 अशोक पुत्र स्व. कजोड
1/2/5 मनीष पुत्र स्व. कजोड
1/2/6 निमूडी पुत्र स्व. कजोड
1/2/7 सीमा पुत्री स्व. कजोड
समस्त जाति मीणा निवासीयान पीलवा तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/3. सूगल्या पुत्र स्व. श्री भौरा जाति मीणा निवासी पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर
1/4. काली पुत्री भौरा धर्मपत्नि श्री श्रवण जाति मीणा निवासी ग्राम सुरेठी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
1/5 मु. धापा पुत्री भौरा पत्नी श्री बाबूलाल निवासी बिशनगढ तहसील बैराठ जिला जयपुर।
2. कजोड़ पुत्र भौरा जाति मीणा निवासी पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. गोरू पुत्र श्री भरता जाति मीणा (मृतक)
4. हनुमान पुत्र श्री भरता (मृतक)
5. सरदारा पुत्र चन्द्रा (मृतक)
5/1. श्रीमती केशर देवी पत्नि स्व. श्री सरदारा निवासी ग्राम पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5/2. कल्याण पुत्र स्व. श्री सरदारा
5/3. जगदीश पुत्र स्व. श्री सरदारा
5/4 श्रवणलाल पुत्र स्व. श्री सरदारा
5/5 कैलाशचंद पुत्र स्व. श्री सरदारा
5/6 मुकेश पुत्र स्व. श्री सरदारा
समस्त जाति गूर्जर निवासी पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5/7. विमला देवी पुत्री स्व. श्री सरदारा धर्मपत्नि श्री रामकुवार जाति गूर्जर निवासी खैरवाडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
5/8. बिला देवी पुत्री स्व. श्री सरदारा धर्मपत्नि श्री नन्छू जाति गूर्जर निवासी खैरवाडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. भगवाना पुत्र चन्द्रा (मृतक)
6/1 श्रीमती झूमा पत्नी स्व. श्री भगवान
6/2 मक्खनलाल पुत्र स्व. श्री भगवाना
6/3. नाथूराम पुत्र स्व. श्री भगवाना
समस्त जाति गूर्जर निवासी पीलवा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से वाके ग्राम पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि हाल खसरा नम्बर 731, 732, 733 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्टैयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 315 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा (जिसके साबिक खसरा नम्बर 668, 670, 670/737) है, के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त वर्णित भूमि पूर्व में ठिकाना जागीरदार शाहपुरा की जागीरी की भूमि थी, जो ठिकाना जागीरदार शाहपुरा द्वारा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के पिता स्व. चन्दा को गुजर बसर हेतु प्रदत्तत/बख्शीश की गई थी तभी से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 का पिता चन्दा उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त में रहे है एवं लगान जागीरदार को अदा करते रहे है तथा चन्दा की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादीगण 5 व 6 लगान अदा करते हुए कब्जा काश्त में चले आ रहे है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 जागीर काल से ही वर्णित भूमि विवादित पर काबिज रह कर काश्त करते आ रहे है तथा भूमि में अपने [illegible] है। जिस पर भैंरू जी की मूर्ति स्थापित है। वादीगण की ओर से अभिकथन [illegible] कि उक्त वर्णित आराजीयात से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का क[illegible] कोई कब्जा, काश्त भी नहीं रहा है। फिर भी प्रतिवादी सं 1 के पूर्वज [illegible] पश्चात तहसील व सेटलमेन्ट के कर्मचारियों से साजकर उल्लेखित [illegible] अपने नाम करा लिया गया जिसकी वादी को कोई जानकारी [illegible] सं 1 का पूर्वज) को इस प्रकार की कार्यवाही कराने का कोई हक अधिकार नहीं था ना ही त[illegible] व भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार की कार्यवाही बाबत कोई कानूनी हक अधिकार था तथा सांवलिया (प्रतिवादी सं 1 का पूर्वज) रामनाथ का दत्तक पुत्र भी नहीं था। इस प्रकार उक्त समस्त कार्यवाही छलकपट व षडयंत्र पूर्वक की गई है। जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5, 6 के हक अधिकारों के प्रति प्रभावहीन, बेअसर व शून्य है। वादी (वादीगण) वर्णित आराजीयात का काबिज काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी वादी का नाम उप कृषक की हैसियत से दर्ज होने के कारण जागीर पुर्नग्रहण पश्चात राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही काबिज काश्त में होने के कारण वादी स्वतः ही उक्त आराजीयात का खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

टीनेंट हो जाता है तथा खातेदार टीनेंट की हैसियत से ही वादी (वादीगण) कब्जा काश्त में है। सांवलिया की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम व हैसियत खातेदार दर्ज करा लिया जिसका उसे कोई हक अधिकार नहीं था। प्रतिवादी 1 द्वारा बिना अधिकार के कराये गये उक्त इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादी 1, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की सहायता से वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण 5 व 6 को उनके कब्जा काश्त की उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल करना चाहता है। इसी उदेश्य से दिनांक 19.01.1986 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वादी के कब्जा काश्त की उक्त आराजीयात पर आये तथा वादी की फसल व खेत में स्थित झोपडी को नष्ट करने की कोशिश की तथा वादी को भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दी गई। इसी प्रकार दिनांक 07.02.1986 को भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा पुनः वादी की कब्जा काश्त की भूमि पर आकर आराजीयात में स्थित वृक्षों को काटने की कोशिश की गई तथा मौके पर लडाई झगडा किया गया एवं वादी को भूमि से बेदखल कर भूमि को बेचान करने की धमकी दी गई। जिससे वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर अपनी भूमि व अपने खातेदारी हको की रक्षार्थ वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। अतः वाद वादी विरुद्व प्रतिवादीगण 1 ता 4 स्वीकार/डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी भूमि खसरा नं. 315 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा (हाल खसरा नं. 731, 732, 733 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्टैयर) वाके ग्राम पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 का नाम बतौर खातेदार कब्जा काश्तकार टीनेंट अंकित किया जावें एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी (वादीगण) व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के कब्जा काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादीगण 5 व 6 के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत, दखलअंदाजी व बाधा कारित ना करें, ना ही भूमि का विकय हस्तान्तरण आदि ना करे।

वादी की ओर से वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न साक्ष्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये–

1. प्रदर्श 1: खसरा गिरदावरी संवत 2012–2015। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 668, 670, 670/737 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादी 1 के पूर्वज सांवतिया पुत्र रामनाथ जाति मीणा के नाम कब्जा काश्त के रूप में दर्ज अंकित है तथा कॉलम संख्या 16 में गणेश पुत्र गंगाराम गुर्जर का नाम दर्ज अंकित है।

2. प्रदर्श 2: खसरा गिरदावरी संवत 2016–2019। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 668, 670, 670/737 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादी 1 के पूर्वज सांवतिया पुत्र रामनाथ जाति मीणा के नाम कब्जा काश्त के रूप में दर्ज अंकित है तथा कॉलम संख्या 16 व 40 में झूथा पुत्र मोहन जाति गुर्जर (वादी) व गणेश पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर का नाम दर्ज अंकित है।

3. प्रदर्श 3: खसरा गिरदावरी संवत 2020–2033। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 315 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादी 1 के पूर्वज सांवलिया पुत्र रामनाथ जाति मीणा के नाम कृषक के रूप में तथा झूथा पुत्र मोहन जाति गुर्जर (वादी) के नाम उप कृषक के रूप में /कब्जा काश्त के रूप में दर्ज अंकित है तथा कॉलम संख्या 16 में काश्तकार के रूप में खुद काश्त अंकित है।

4. प्रदर्श 4: सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2022। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 315 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादी 1 के पूर्वज सांवलिया पुत्र रामनाथ जाति मीणा के नाम कृषक के रूप में तथा झूथा पुत्र मोहना जाति गुर्जर (वादी) के नाम उप कृषक के रूप में में दर्ज अंकित है।

5. प्रदर्श 5: सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2029–32। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 315 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादी 1 के पूर्वज सांवलिया पुत्र रामनाथ जाति मीणा के नाम कृषक के रूप में तथा झूथा पुत्र मोहना जाति गुर्जर (वादी) के नाम उप कृषक के रूप में दर्ज अंकित है।

6. प्रदर्श 6: सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत [illegible]। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 315 कुल रकबा [illegible] प्रतिवादी 1 के पूर्वज सांवलिया पुत्र रामनाथ जाति मीणा के नाम कृषक के रूप में तथा झूथा पुत्र मो[illegible] जाति गुर्जर (वादी) के नाम उप कृषक के रूप में दर्ज अंकित है तथा सांवतिया की फौतगी पर नामांतकरण सं 182 दिनांक 15.12.1987 द्वारा विरासत नामांतकरण प्रतिवादी 1 भौरा पुत्र सांवता के नाम दर्ज किया जाना प्रदर्शित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

7. प्रदर्श 7: लगान रसीद संख्या 23 संवत 2013। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम सांवतिया पुत्र रामनाथ मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) अंकित है तथा लगान राशि झूथा पुत्र मोहना (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

8. प्रदर्श 8: लगान रसीद संख्या 47। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम सांवतिया पुत्र रामनाथ मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) अंकित है तथा लगान राशि झूथा पुत्र मोहना (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

9. प्रदर्श 9: लगान रसीद संख्या 31 संवत 2036। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम भौरिया पुत्र सांवता मीणा (प्रतिवादी 1) अंकित है तथा लगान राशि झूथा पुत्र मोहना (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

10. प्रदर्श 10: लगान रसीद संख्या 4 संवत 2037। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम भौरिया पुत्र सांवतिया जाति मीणा (प्रतिवादी 1) अंकित है तथा लगान राशि झूथा पुत्र मोहना (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

11. प्रदर्श 11: लगान रसीद संख्या 40 संवत 2035। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम भौरिया पुत्र सांवतिया जाति मीणा (प्रतिवादी 1) अंकित है तथा लगान राशि झूथा पुत्र मोहना (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

12. प्रदर्श 12: लगान रसीद संख्या 33 संवत 2040। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम भौरिया पुत्र सांवतिया जाति मीणा (प्रतिवादी 1) अंकित है।

13. प्रदर्श 13: लगान रसीद संख्या 20 संवत 2041। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम भौरिया पुत्र सांवतिया जाति मीणा (प्रतिवादी 1) अंकित है।

14. प्रदर्श 14: लगान रसीद संख्या 16 संवत 2033। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम सांवतिया पुत्र रामनाथ मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) अंकित है तथा लगान राशि झूथा पुत्र मोहना (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

15. प्रदर्श 15: लगान रसीद संख्या 36 संवत 2032। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम सांवतिया पुत्र रामनाथ मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) अंकित है तथा लगान राशि झूथा पुत्र मोहना (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

16. प्रदर्श 16: लगान रसीद संख्या संवत 2016। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम सांवतिया पुत्र रामनाथ मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) अंकित है तथा लगान राशि झूथा पुत्र मोहना (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

17. प्रदर्श 17: लगान रसीद संख्या 31 संवत 2018। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम सांवतिया पुत्र रामनाथ मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) अंकित है तथा लगान राशि झूथा पुत्र मोहना (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

18. प्रदर्श 18: लगान रसीद संख्या 32 संवत 2021। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम सांवतिया पुत्र रामनाथ मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) अंकित है तथा लगान राशि झूथा पुत्र मोहना (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

19. प्रदर्श 19 : लगान रसीद संख्या [illegible] संवत 2014। जिसके अनुसार भूमि धारी का नाम सांवतिया पुत्र रामनाथ मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) अंकित [illegible] राशि झूथा पुत्र मोहना (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

20. प्रदर्श 20: लगान रसीद संख्या 15 संवत 20[illegible] भूमि धारी का नाम सांवतिया पुत्र रामनाथ मीणा (प्र[illegible] पुत्र मोहना (वादी) द्वारा जमा कराई [illegible]

21. प्रदर्श 21: शपथ पत्र दिनांक 07.04.1986 भरता पुत्र भूरा जाति गुर्जर। जिसके अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत कर्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 315 पर कब्जा काश्त वादी 1 झूथा पुत्र मोहना व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का होना तथा भूमि पर उक्त वादी व प्रतिवादीगण 5, 6 के मकानात व भैरू जी का चबूतरा होना कथन किया गया है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

22. प्रदर्श 22: शपथ पत्र दिनांक 07.04.1986 मुरली पुत्र मुकुन्दा जाति गुर्जर। जिसके अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत कर्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 315 पर कब्जा वादी 1 झूथा पुत्र मोहना व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का होना तथा भूमि पर उक्त वादी व प्रतिवादीगण 5, 6 के मकानात व भैंरू जी का चबूतरा होना कथन किया गया है।

23. प्रदर्श 23: शपथ पत्र दिनांक 07.04.1986 बालू पुत्र लाल जाति गुर्जर। जिसके अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत कर्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 315 पर कब्जा वादी 1 झूथा पुत्र मोहना व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का होना तथा भूमि पर उक्त वादी व प्रतिवादीगण 5, 6 मकानात व भैंरू जी का चबूतरा होना कथन किया गया है।

24. प्रदर्श 24: शपथ पत्र दिनांक 07.04.1986 भगवाना पुत्र झूथा जाति गुर्जर। जिसके अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत कर्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 315 पर कब्जा वादी 1 झूथा पुत्र मोहना व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का होना तथा भूमि पर उक्त वादी व प्रतिवादीगण 5, 6 के मकानात व भैंरू जी का चबूतरा होना कथन किया गया है।

25. प्रदर्श 25: सत्यापित प्रति जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त संवत 2008–2027। जिसके अनुसार भूमि ख.नं. 668, 670 कुल खसरा किता 2 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा तथा सत्यापित प्रति जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त संवत 2007–2027 जिसके अनुसार भूमि ख. नं. 670/737 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा सांवतिया पुत्र रामनाथ (प्रतिवादी का पूर्वज) जाति मीणा के नाम दर्ज अंकित है।

26. प्रदर्श 26: सत्यापित प्रति जमाबंदी खतौनी संवत 2025–2028। जिसके अनुसार भूमि ख. नं. 315 (गत खसरा नं.)रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा सांवतिया पुत्र रामनाथ जाति मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) के नाम कृषक के रूप में तथा झूथा पुत्र मोहना (वादी) के नाम उप कृषक के रूप में दर्ज अंकित है।

27. प्रदर्श 27: प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2029–2032। जिसके अनुसार भूमि ख. नं. 315 (गत खसरा न) रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा सांवतिया पुत्र रामनाथ जाति मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) के नाम कृषक के रूप में तथा झूथा पुत्र मोहना (वादी) के नाम उप कृषक के रूप में दर्ज अंकित है।

28. प्रदर्श 28: प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2033–2036। जिसके अनुसार भूमि ख. नं. 315 (गत खसरा न.) रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा सांवतिया पुत्र रामनाथ जाति मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) के नाम कृषक के रूप में तथा झूथा पुत्र मोहना (वादी) के नाम उप कृषक के रूप में दर्ज अंकित है।

29. प्रदर्श 29: प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2056–2058। जिसके अनुसार भूमि ख. नं. 731, 732, 733 (हाल खसरा नं.) कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्टैयर प्रतिवादी 1 के वारिसान के नाम एकल खातेदारिता में दर्ज अंकित है।

30. प्रदर्श 30: प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2060–2063। जिसके अनुसार भूमि ख. नं. 731, 732, 733 (हाल खसरा नं.) कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्टैयर प्रतिवादी 1 के वारिसान के नाम एकल खातेदारिता में दर्ज अंकित है।

31. प्रदर्श 31: प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2020–2023। जिसके अनुसार भूमि ख. नं. 315 (गत खसरा नं.) रकबा [illegible] जाति मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) के नाम कृषक के रूप में तथा [illegible] (वादी) के नाम उप कृषक के रूप में दर्ज अंकित है।

32. प्रदर्श 32: प्रमाणित प्रति ख[illegible] अनुसार भूमि ख. नं. 315 (गत खसरा न.) रकबा 5 बीघा 16 [illegible] मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) के नाम कृ[illegible] (वादी) के नाम उप कृषक के रूप में दर्ज अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

33. प्रदर्श 33: प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2034–2037। जिसके अनुसार भूमि ख. नं. 315 (गत खसरा नं.) रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा सांवतिया पुत्र रामनाथ जाति मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) के नाम कृषक के रूप में तथा वादी के नाम उपकृषक के रूप मे दर्ज अंकित है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

34. प्रदर्श 34: प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2038-2041। जिसके अनुसार भूमि ख. नं. 315 (गत खसरा नं.) रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भौंरा पुत्र सावता जाति मीणा (प्रतिवादी 1) के नाम कृषक के रूप में दर्ज अंकित है।

35. प्रदर्श 35: प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2046-2049। जिसके अनुसार भूमि ख. नं. 315 (गत खसरा नं.) रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भौंरा पुत्र सावता जाति मीणा (प्रतिवादी 1) के नाम कृषक के रूप में दर्ज अंकित है।

36. प्रदर्श 36: प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत ख. नं. 315 के नवीन खसरा नं. 731, 732, 733 कुल किता 3 रकबा 1.47 हैक्टैयर बनना अंकित है।

37. प्रदर्श 37: प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत ख. नं. 315 के साबिक खसरा नं. 668, 670, 670/737 कुल किता 3 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा होना अंकित है।

38. प्रदर्श 38: लगान रसीद संख्या 12 दिनांक 03.08.1955 संवत् 2011। जिसके अनुसार कृषक /खातेदार का नाम सांवतिया पुत्र रामनाथ मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) अंकित है तथा लगान राशि स्वयं द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

39. प्रदर्श 39: लगान रसीद संख्या 11 दिनांक 03.08.1955 संवत् 2011। जिसके अनुसार कृषक /खातेदार का नाम सांवतिया पुत्र रामनाथ मीणा (प्रतिवादी 1 का पूर्वज) अंकित है तथा लगान राशि स्वयं द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

40. प्रदर्श 40: लगान रसीद संख्या 10। जिसके अनुसार कृषक /खातेदार का नाम भौंरा पुत्र सावता मीणा (प्रतिवादी 1) अंकित है तथा लगान राशि झूथा (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

41. प्रदर्श 41: लगान रसीद संख्या 18 दिनांक 04.02.1971 संवत् 2027। जिसके अनुसार कृषक /खातेदार का नाम सावता मीणा (प्रतिवादी 1 का पिता) अंकित है तथा लगान राशि झूथा (वादी) द्वारा जमा कराई गई प्रदर्शित है।

42. प्रदर्श 42: नक्शा ट्रेस

43. प्रदर्श 43: सत्यापित प्रति आदेशिका दिनांक 25.09.1996 मुकदमा संख्या 229/85 बउनवानी भौंरा बनाम गोपाल। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिसके अनुसार वादी भौंरा (हस्तगत वाद प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया।

44. प्रदर्श 44: सत्यापित प्रति वाद पत्र। बउनवानी भौंरा बनाम गोपाल। जो स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, के समक्ष प्रस्तुत किया गया (जो न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.1996 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया।)

45. प्रदर्श 45: सत्यापित प्रति निर्णय दिनांक 23.09.1989। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वितीय जयपुर बाबत अपील संख्या 932/86 बउनवानी भौंरा बनाम गोपाल व अन्य, अपील संख्या 934/86 बउनवानी भौंरा बनाम झूथा व अन्य। जिसके अनुसार हाल प्रतिवादी संख्या 1 भौंरा द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें (प्रार्थना पत्र टी.आई.) अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज की गई।

46. प्रदर्श 46: सत्यापित प्रति आदेश दिनांक 08.11.20.. न्यायालय तहसीलदार आमेर। बाबत प्रकरण संख्या 135/2004 बउनवानी ... बनाम ...लाल व अन्य। जिसके अनुसार न्यायालय तहसीलदार आमेर द्वारा ... भूमि खसरा नं. 731, 732, 733 रकबा 1.47 हैक्टेयर से अतिक्रमी ... को धारा 183 बी के अन्तर्गत बेदखल किये ... वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में मूल प्रकरण के न्यायालय उपखंड अधिकारी आमेर समक्ष ... होने तथा उक्त न्यायालय द्वारा स्थगन जारी होने के आधार पर स्थगित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अपने जवाब वाद पत्र में अभिकथन किया गया है कि वाद अधीन भूमि गत खसरा नं. 315 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा व उसके साबिक खसरा नम्बरों (खसरा नं. 668, 670, 670/737) को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पूर्वज सावता रियासत काल (ठिकाना मनोहरपुर शाहपुरा) से ही बहैसियत काश्तकार काश्त करते

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

रहे है तथा लगान सरकार को अदा करते रहे है। इसी आधार पर वरवक्त प्रथम बंदोवस्त संवत 2008 में पर्चा खातेदारी प्रतिवादी 1 के पूर्वज सावता पुत्र किशना के नाम जारी किया गया है जो सही रूप से तथा वास्तविक आधार पर जारी किया गया है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 का उक्त आराजीयात से कभी कोई संबंध नहीं रहा है तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 का कोई कब्जा उक्त आराजीयात में नहीं है, ना ही उनके कोई मकानात व चबूतरा बना हुआ है, अपितु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पूर्वज सावता पुत्र किशना प्रारम्भ से ही भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे है तथा लगान अदा करते रहे है। जिनके पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी 1 भौंरा का दादा किशना व रामनाथ सगे भाई थे तथा रामनाथ के कोई औलाद नही होने के कारण सावता (प्रतिवादी 1 का पिता) ही सगा भतीजा होने के कारण रामनाथ का वारिस बना है। जिसमें कोई अनैतिकता नहीं है। वर्णित/विवादित आराजीयात में वादी का कब्जा ना तो बहैसियत खातेदार/काश्तकार रहा है, ना ही बहैसियत कृषक वादी भूमि पर काबिज रहा है। अपितु वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 द्वारा मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जो कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है, की भूमि को हडप करने की नीयत से असत्य तथ्य वर्णित कर वाद प्रस्तुत किया गया है। सावता उर्फ सावलिया प्रतिवादी 1 भौंरा (भूरा) का पिता था जिससे सांवता की फौतगी पर विरासतता के आधार पर भौंरा (प्रतिवादी 1) का नाम दर्ज किया गया है। जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/5 भौंरा पुत्र सांवता के वारिस है। जो भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार वादी जो कि स्वर्ण जाति का व्यक्ति है, द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जो कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है, की राज. काश्त. अधिनियम प्रभाव में आने के काल से ही प्रचलित एकल खातेदारिता की भूमि को स्वयं के नाम करवाने की नीयत से तथा कब्जे काश्त के असत्य कथन मात्र के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो कि मियाद आधार पर भी बाधित है तथा कब्जा काश्त भी प्रमाणित नहीं होने से भी खारित योग्य होने से वाद वादी खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वाद पत्र के सदंर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये–

1. प्रदर्श डी 1: सत्यापित प्रति मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण विभाग। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 315 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा के साबिक खसरा नं. 668 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 670 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 670/737 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा होना प्रदर्शित होता है।

2. प्रदर्श डी 2: सत्यापित प्रति मौका निशादेही रिपोर्ट दिनांक 31.10.1985। बाबत खसरा नं. 315 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 315 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा पर कब्जा काश्त प्रतिवादी 1 भौंरा पुत्र सांवता जाति मीणा निवासी पीलवा का होना प्रदर्शित होता है।

3. प्रदर्श डी 3: सत्यापित प्रति जमाबंदी/खतौनी बंदोबस्त भू प्रबंध विभाग संवत 2008–2027। जिसके अनुसार वादअधीन भूमि साबिक खसरा नम्बर . 668 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 670 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 670/737 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा प्रतिवादी 1 के पिता सांवतिया पुत्र रामनाथ जाति मीणा के नाम खुद काश्त के रूप में एकल खातेदारिता में दर्ज अंकित है।

4. प्रदर्श डी 4: सत्य प्रति पर्चा नोटिस भू प्रबंध विभाग (खाता सं. 80)। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 731, 732, 733 (हाल खसरा नं.) प्रतिवादी 1 भौंरा पुत्र सावंता जाति मीना के नाम कृषक के रूप में दर्ज अंकित है। जिसके साबिक खसरा नं. 315 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा दर्ज अंकित है।

5. प्रदर्श डी 5: सत्य प्रति लगान [illegible] जो प्रतिवादी भौंरिया पुत्र सावंता जाति मीणा के नाम काश्तकार के रूप में जारी है।

6. प्रदर्श डी 6: अस्पष्ट

7. प्रदर्श डी 7 से डी 10: काउंटर [illegible] पत्र दिनांक 17.04.[illegible] भौंरा पुत्र सावंता। जिसके अनुसार प्रतिवादी [illegible] मुरली पुत्र मुकंदा, भगवाना पुत्र झूथा, बालू पुत्र लाला, भरता पुत्र भूरा के [illegible] को असत्य होना अभिव्यक्त किया गया है, तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 315 पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण 5 व 6 के मकानात नहीं होना तथा उक्त भूमि पर भैंरू जी की मूर्ति नहीं होना कथन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

8. प्रदर्श डी 11: असल लगान रसीद संख्या 39 दिनांक 04.02.1943 संवत् 1999 राज सवाई जयपुर ठिकाना मनोहरपुर शाहपुरा। जिसके अनुसार काश्तकार का नाम सावंतिया वल्द किशन जाति मीना अंकित है, जो प्रतिवादी 1 का पिता है।

9. प्रदर्श डी 12: असल लगान रसीद संख्या 89 दिनांक 16.08.1948 संवत् 2003 राज सवाई जयपुर ठिकाना मनोहरपुर शाहपुरा। जिसके अनुसार काश्तकार का नाम सावंतिया वल्द किशन जाति मीना अंकित है, जो प्रतिवादी 1 का पिता है।

10. प्रदर्श डी 13: सत्यापित प्रतिलिपि नामान्तरण संख्या 19। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 भौंरा पुत्र सांवता जाति मीना की फौतगी पर विरासत नामान्तरण कजोड, सुगनचंद पि. भौंरा, मु. गुल्ली बेवा भौंरा के नाम स्वीकृत है।

11. प्रदर्श डी 14: सत्य प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी संवत 2055। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 731, 732, 733 कजोड, सुगनचंद, पि. भौंरा, मु. गुल्ली बेवा भौंरा के नाम कब्जे काश्त के रूप में अंकित है।

12. प्रदर्श डी 15: सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी संवत 2056–59। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 731, 732, 733 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्टैयर कजोड, सुगनचंद, पि. भौंरा, मु. गुल्ली बेवा भौंरा के नाम खातेदारिता में अंकित है।

13. प्रदर्श डी 16: सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी संवत 2037–2040 खाता सं. 80 (पुराना 109)। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि (गत) खसरा नम्बर 315 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 भौंरा पुत्र सांवता के नाम एकल खातेदारिता में अंकित है।

14. प्रदर्श डी 17: सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी संवत 2037–2040 खाता सं. 80 (पुराना 109)। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि (गत) खसरा नम्बर 315 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 भौंरा पुत्र सांवता के नाम एकल खातेदारिता में अंकित है।

15. प्रदर्श डी 18: प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त संवत 2008–2027 वाके ग्राम पीलवा। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 670/737 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा प्रतिवादी 1 के पिता सावतिया पुत्र रामनाथ जाति मीना के नाम कब्जा काश्त के रूप में/एकल खातेदारिता के रूप में खुद काश्त अनुसार दर्ज अंकित है।

16. प्रदर्श डी 19: प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त संवत 2008–2027 अस्पष्ट ।

17. प्रदर्श डी 20: प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त भू प्रबंध विभाग संवत 2008–2027। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 668 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा खसरा नं. 670 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा प्रतिवादी 1 के पिता सावतिया पुत्र रामनाथ जाति मीना के नाम कब्जा काश्त के रूप में/एकल खातेदारिता के रूप में दर्ज अंकित है।

18. प्रदर्श डी 21: प्रमाणित प्रति पर्चा लगान भू प्रबंध विभाग संवत 2046–2065। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 731, 732, 733 के संदर्भ में खातेदार का नाम भौंरा पुत्र सांवता जाति मीणा अंकित है।

19. प्रदर्श डी 22: सत्यापित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2064–2067। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 73[illegible] के संबंध में खातेदार का नाम कजोड, सुगनचंद पि. भौंरा, मु. गुल्ली बेवा भौंरा जाति मीणा [illegible] जिसके क्रम में गुल्ली बेवा भौरा की फौतगी पर नामांतकरण सं. 160, दिन[illegible]0.11.1[illegible] मोडमल, सुगनचंद पिता भौरा के नाम स्वीकृत किया जाना भी प्रदर्शित है।

20. प्रदर्श डी 23: सत्यापित प्रति रजिस्टर खाता [illegible] संवत 2046–65। जिसके अनुसार कृषक/खातेदार का [illegible] सुगनचंद पि. भौंरा, गुल्ली बेवा भौंरा जाति मीणा अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया आराजी खसरा नम्बर 315 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नम्बर 668, 670/737 ग्राम पीलवा तहसील आमेर में हैं को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के पिता चन्ना को ठिकाना जागीरदार शाहपुरा द्वारा खाने पीने के लिये बताई थी। तब से वादीगण एवं

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

तरतीबी प्रतिवादी सं० 5 एवं 6 के पिता चन्दा उक्त आराजीयात पर काश्त कर रहे हैं एवं लगान जागीरदार को अदा करते रहे है। चन्दा की मृत्यु पश्चात वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 उक्त आराजी पर काबिज है व लगान अदा करते हैं ।

– वादीगण

2. आया वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने वाद पत्र में वर्णित अपने कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात में अपने रहने के मकानात बना रखे है एवं पुख्ता चबूतरा भी बना रखा है जिसमें भैरू जी मूर्ति स्थापित है। इनके बुजुर्ग चन्दा ने इस भूमि को कृषि योग्य बनाया है जिसमें उस वक्त 5–6 हजार रूपये खर्च हुए है।

– वादीगण

3. आया वाद नं 1 में वर्णित आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है तथा उनका कब्जा भी नहीं है जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात तहसील एवं सैटिलमेन्ट के कर्मचारियों से साज कर सावलिया ने पर्चा खातेदारी अपने नाम करा लिया। सारी कार्यवाही छल कपट व षडयंत्र से की गई इस प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार भूप्रबंध विभाग को नहीं था जो कि वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी सं 5 व 6 के अधिकारों के विरूद्व प्रभावहीन अवैध, बेअसर व शून्य है। जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के अधिकारों के विरूद्ध प्रभावहीन है ।

– वादीगण

4. आया उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर वादीगण का कब्जा राजस्व रिकार्ड में भी उपकृषक की हैसियत से दर्ज होने के कारण जागीर पुर्नग्रहण होने के पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही कब्जे काश्त में होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो जाते है ।

–वादीगण

5. आया सांवलिया की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी नम्बर 1 ने चुपचाप राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करा लिया जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है।

– वादीगण

6. आया प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे में दखल करने के कारण वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है

– वादीगण

7. आया प्रतिवादी संख्या 1 भौरा मृतक एवं उसके वारिसान बुर्जुगों के समय से बजमाने जागीर ठिकाना शाहपुरा बहैसियत खातेदार काश्तकार चले आने के कारण पर्चा खातेदारी मिन प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के नाम सही बना है और वे ही वर्तमान में बहैसियत खातेदार काश्तकार है ।

–प्रतिवादीगण

8. आया प्रतिवादी सं० 1 व उसके वारिस जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व बहैसियत खातेदार काश्तकार बुर्जुगों के समय से काश्तकार हैं जिसके कारण भी वादीगण कोई अधिकार मिन प्रतिवादी खातेदार के विरुद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा कानूनन भी वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है ।

–प्रतिवादीगण

9. दादरसी ?

काायम तनकीयात के कम में वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र रूडमल पुत्र स्व. ग्यारसा गुर्जर, गोपाल पुत्र स्व. झूथा गुर्जर, हनुमान सहाय पुत्र झूथा गुर्जर, गिरधारी पुत्र मुरलीधर गुर्जर, सूजाराम पुत्र कानाराम गुर्जर के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र कजोड पुत्र भूरा मीणा, सुगल्या पुत्र भूरा मीणा, बाबूलाल पुत्र कल्याण सहाय मीणा, कैलाश चंद पुत्र हनुमान सहाय शर्मा के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्व करवाये गये। जिसके कम में पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की जाकर उभयपक्षकारान की बहस अन्तिम सुनी गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध / प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया, जिसके प्रकाश में प्रत्येक तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है–

1. तनकी संख्या 1:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर थी जिसके अनुसार वादीगण की ओर से यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि "विवादित भूमि के साबिक खसरा नं. 668, 670, 670/737 ... ठिकाना जागीरदार शाहपुरा द्वारा ... प्रतिवादी सं. 5 व 6 के पिता चंदा को खाने पीने (गुजर बसर) हेतु बताई गई थी तथा ... ही वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के पिता चंदा उक्त आराजीयात पर काश्त करते रहे है एवं लगान जागीरदार को अदा करते रहे है। चंदा की मृत्यु पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 उक्त आराजीयात पर काबिज है व लगान अदा करते है।" परन्तु इस परिपेक्ष्य मे वादीगण की ओर से ऐसा कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि ठिकाना जागीरदार द्वारा वादग्रस्त उल्लेखित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के पिता चंदा को प्रदत्त की गई हो। इसके अतिरिक्त रियासत काल से ही वादी के व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के पिता चंदा के निरन्तर कब्जा काश्त व जागीरदार को लगान अदायगी के संदर्भ में भी कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा कब्जा/काश्त के प्रमाण के रूप मे जो साक्ष्य दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी संवत 2012–2015 (प्रदर्श 1) खसरा गिरदावरी संवत 2016–2019 (प्रदर्श 2) खसरा गिरदावरी संवत 2020–2033 (प्रदर्श 3) खसरा गिरदावरी संवत 2020–2023 (प्रदर्श 31) खसरा गिरदावरी संवत 2033 (प्रदर्श 32) खसरा गिरदावरी संवत 2034–2037 (प्रदर्श 33) वादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये है। उनके अनुसार भी भूमि पर कृषक के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सांवतिया पुत्र रामनाथ का नाम अंकित है तथा वादी का नाम कृषक के रूप में अंकित नही होकर उप कृषक के रूप में अंकित है। जिससे मुख्य कृषक के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम के उल्लेख की तुलना में उप कृषक के रूप में वादी के नाम के उल्लेख से वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, ना ही कृषक की मौजूदगी में उप कृषक को अधिकार प्राप्त होते है। इसके अतिरिक्त लगान अदायगी के साक्ष्य के रूप में जो साक्ष्य दस्तावेजात लगान रसीदें प्रदर्श 7 से प्रदर्श 20, प्रदर्श 38 से प्रदर्श 41 स्वयं वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है उनके अनुसार भी वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में कृषक/खातेदार/भूमिधारी का नाम सावतिया पुत्र रामनाथ अंकित है जो प्रतिवादी 1 का पिता है। वादी द्वारा मात्र लगान राशि जमा कराई गई है, प्रदर्शित होता है। जो कि कृषक/खातेदार/भूमिधारी की ओर से जमा कराई गई प्रदर्शित है, ना कि एक कृषक/खातेदार के रूप में जमा कराई गई प्रदर्शित है। इस प्रकार वादी पक्ष द्वारा तनकी विशेष के संदर्भ में अपना पक्ष सिद्व नहीं किया जा सका है। अतः यह तनकी वादी विरूद्व तय/निस्तारित की जाती है।

2. तनकी संख्या 2:– इस तनकी को सिद्व करने की भारिता वादी/वादीगण पर थी। जिसके अनुसार वादीगण की ओर से यह सिद्व किया जाना अपेक्षित था कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने वाद पत्र में वर्णित अपने कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात में अपने रहने के मकानात बना रखे है एवं पुख्ता चबूतरा भी बना रखा है। जिसमें भैरू जी की मूर्ति स्थापित है तथा वादी व प्रतिवादी 5 व 6 के पूर्वज चंदा ने इस भूमि को कृषि योग्य बनाया है। यद्यपि तनकी संख्या 1 अनुसार वादी, प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 अपना अधिकृत कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहे है फिर भी इस तनकी विशेष के परिपेक्ष्य में उक्त आराजीयात (विवादित भूमि) में अपने रहने के मकानात व पुख्ता चबूतरा जिसमें भैंरू जी की मूर्ति स्थापित हो, के संदर्भ में ऐसा कोई मान्य साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे भूमि वादग्रस्त में वादी व प्रतिवादीगण 5 व 6 के मकानात होना साबित होता हो। वादीगण की ओर से विवादित भूमि में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के मकानात व भैंरू जी का चबूतरा होने के संदर्भ में मात्र मौखिक साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रदर्श 21 से 24 गवाह भरता पुत्र भूरा, मुरली पुत्र मुकंदा, बालू पुत्र लाला व भगवाना पुत्र झूथा के प्रस्तुत किये गये है परन्तु उक्त शपथ पत्रों के संदर्भ में प्रतिवादी की ओर से भी काउण्टर शपथ पत्र डी 7 से डी 10 के रूप में प्रस्तुत किये गये है। जिनके अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण 5 व 6 के मकानात व भैंरू जी की मूर्ति/चबूतरा नहीं होना कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से उक्त संदर्भ में अपनी विशिष्ट दस्तावेजी साक्ष्य से अपने मकानात व भैंरू जी की मूर्ति/चबूतरा होना सिद्व किया जाना आवश्यक था। जो कि वादी द्वारा किसी अन्य सक्षम साक्ष्य से सिद्व नहीं किया जा सका है। अतः यह तनकी भी विरूद्व वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण 5 व 6 के तय की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

3. तनकी संख्या 3:– इस तनकी को सिद्व करने की [illegible] वा[illegible]दीगण पर थी जिसके अनुसार वादीगण की [illegible] कि "वाद पत्र में वर्णित आराजीयात [illegible] है तथा उनका कब्जा भी नहीं है तथा जागीर [illegible] कर्मचारियों से साज कर सांवतिया [illegible] खातेदारी अपने नाम करा लिया।" इस परिपेक्ष्य में स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात खसरा गिरदावरी संवत 2012–2015 (प्रदर्श 1) खसरा गिरदावरी संवत 2016–2019 (प्रदर्श 2) खसरा गिरदावरी संवत 2020–2033 (प्रदर्श 3) खसरा गिरदावरी संवत 2020–2023 (प्रदर्श 31) खसरा गिरदावरी संवत 2033 (प्रदर्श 32) खसरा गिरदावरी संवत 2034–2037 (प्रदर्श 33) खसरा गिरदावरी संवत 2038–2041 (प्रदर्श 34) खसरा गिरदावरी संवत 2046–2049 (प्रदर्श 35) के अनुसार भूमि के कृषक/खातेदार के रूप में प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

1 के पिता सावतिया पुत्र रामनाथ का नाम तथा उप कृषक के रूप में वादी का नाम अंकित है। जिससे यह प्रदर्शित होता है कि भूमि पर प्रतिवादी 1 रियासत काल से ही निरन्तर काबिज होकर काश्त करता रहा है तथा काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से प्रतिवादी 1 के काबिज होने (जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त संवत 2008–2027 प्रदर्श डी 3, डी 18, डी 20) के आधार पर प्रतिवादी 1 के पिता को खातेदारिता प्रदत्त की गई है। जो काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के वर्ष से ही निरन्तर बदस्तूर जारी है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी साक्ष्य दस्तावेज लगान रसीद संख्या 39 दिनांक 04.02.1943 (प्रदर्श डी 11) तथा लगान रसीद संख्या 89 दिनांक 16.08.1948 (प्रदर्श डी 12) जो रियासतकालीन लगान रसीद है के अनुसार भी काश्तकार का नाम सावतिया वल्द किशन (प्रतिवादी 1 का पिता) अंकित है, भी वादी के कथन को खंडित करते है। इस प्रकार वादी पक्ष द्वारा इस तनकी विशेष के संदर्भ में अपना पक्ष सिद्व नहीं किया जा सका है। अतः यह तनकी विरूद्व वादीगण तय/निस्तारित की जाती है।

4. तनकी संख्या 4:– इस तनकी को सिद्व करने की भारिता वादी/वादीगण पर थी। जिसके अनुसार वादीगण की ओर से यह सिद्व किया जाना अपेक्षित था कि "वर्णित आराजीयात पर वादीगण का कब्जा राजस्व रिकॉर्ड में भी उप कृषक की हैसियत से दर्ज होने के कारण जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात राज. काश्त. अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही कब्जे काश्त में होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो जाते है।" इस परिपेक्ष्य में प्रथमतः तो वादी पक्ष की ओर से ऐसा एक मात्र भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह सिद्व/प्रदर्शित करता हो कि राज. काश्त. अधिनियम प्रभाव में आने (संवत 2012) से पूर्व वादी भूमि वादग्रस्त पर कृषक/खातेदार की हैसियत से कब्जा काश्त में रहा हो अथवा कृषक/काश्तकार के रूप में लगान अदा किया गया हो अपितु वादी का नाम खसरा गिरदावरी में उप कृषक मात्र के रूप में अंकित रहा है ना कि कृषक के रूप में अंकित रहा है एवं लगान रसीदों अनुसार भी भूमिधारी का नाम सावतिया पुत्र रामनाथ अंकित रहा है जो प्रतिवादी 1 का पिता है। वादी द्वारा भूमिधारी की ओर से लगान राशि जमा मात्र कराई गई प्रदर्शित है। जिससे मुख्य कृषक/भूमिधारी की मौजूदगी पर उप कृषक की अवधारणा/हैसियत से वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा प्रतिवादी साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श डी 11, 12 लगान रसीदें वर्ष 1943, 1948 जो कि काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व की है के अनुसार भी कृषक/काश्तकार के रूप में लगान सावतिया पुत्र किशना (प्रतिवादी पक्ष) द्वारा अदा किया जाना प्रदर्शित है। तथा जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त संवत 2008–2027 प्रदर्श डी 3, डी 18, डी 20 अनुसार भी भूमि सांवतिया पुत्र रामनाथ (प्रतिवादी 1 का पिता) के नाम कब्जा काश्त के रूप में/एकल खातेदारिता के रूप में दर्ज अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही प्रतिवादी 1 भूमि पर एक मात्र कृषक (काश्तकार) के रूप में / एकल खातेदार के रूप में कब्जा काश्त में रहा है। जिसके आधार पर ही जागीर पुर्नग्रहण पर प्रतिवादी 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है जो बदस्तूर निरन्तर प्रचलित है। इस प्रकार वादी पक्ष द्वारा इस तनकी विशेष के संदर्भ में अपना पक्ष सिद्व नहीं किया जा सका है। अतः यह तनकी विरूद्व वादीगण तय/निस्तारित की जाती है।

5. तनकी संख्या 5:– इस तनकी को सिद्व करने की भारिता वादी/वादीगण पर थी। जिसके अनुसार वादीगण की ओर से यह सिद्व किया जाना अपेक्षित था कि सांवलिया की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने चुपचाप राजस्व रिकॉर्ड में अपना बहैसियत खातेदार दर्ज करा [illegible] दस्तावेज प्रदर्श–6 अनुसार प्रतिवादी 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड [illegible] खातेदार सांवतिया पुत्र रामनाथ की मृत्यु होने के [illegible] में विधिवत [illegible] (नाम[illegible] सं 182 दिनांक 15.12.1987) अनुसार मृतक के वारिस के रूप में दर्ज [illegible] कि अन्य किसी आधार पर सीधे ही खातेदार के रूप में दर्ज [illegible] गया है। अतः यह तनकी सिद्व नहीं होने से विरूद्व वादीगण तय/निस्तारित [illegible]

6. तनकी संख्या 6:– इस तनकी को सिद्व करने की भारिता वादी/वादीगण पर थी। जिसके अनुसार वादीगण की ओर से यह सिद्व किया जाना अपेक्षित था कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इस परिपेक्ष्य में चूंकि गत वाद बिन्दुओं अनुसार वादीगण अपने कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारिता को सिद्व नहीं कर सके है तथा यह तनकी अन्य तनकी सं. 1 ता 5 की पूरक है। अतः

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 1 ता 5 विरूद्व वादीगण निरस्तारित होने से यह तनकी स्वतः ही विरूद्व वादीगण सिद्व होने से विरूद्ध वादीगण तय/निस्तारित की जाती है।

7. तनकी संख्या 7:- इस तनकी को सिद्व करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्व किया जाना अपेक्षित था कि प्रतिवादी संख्या 1 भौंरा (मृतक) एवं उसके वारिसान बुजुर्गो के समय से बजमाने जागीर ठिकाना शाहपुरा बहैसियत खातेदार काश्तकार चले आने के कारण कब्जा खातेदारी मिन प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के नाम सही बना है और वे ही वर्तमान में बहैसियत खातेदार काश्तकार है। इस परिपेक्ष्य में चूंकि गत वाद बिन्दुओं अनुसार वादीगण अपने कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारिता को सिद्व नहीं कर सके है तथा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात प्रतिवादीगण के निरंतर कब्जाकाश्त व तदनुसार खातेदारिता को पुष्ट करते है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय/निरस्तारित की जाती है।

तनकी संख्या 8:- इस तनकी को सिद्व करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्व किया जाना अपेक्षित था कि प्रतिवादी सं० 1 व उसके वारिस जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व बहैसियत खातेदार काश्तकार बुर्जुगों के समय से काश्तकार है जिसके कारण भी वादीगण कोई अधिकार मिन प्रतिवादी खातेदार के विरुद्व प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस परिपेक्ष्य में चूंकि गत वाद बिन्दुओं अनुसार वादीगण अपने कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारिता को सिद्व नही कर सके है तथा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात अनुसार भूमि वादग्रस्त राज.काश्त.अधि. के प्रभाव में आने के काल से ही निरंतर प्रतिवादीगण के नाम कब्जा काश्त व तदनुसार ही विधिवत खातेदारिता में दर्ज अंकित चली आ रही है। जिससे यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय/सिद्व होती है।

आदेश

वादी के प्रस्तुत वाद पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि वादग्रस्त वादी अथवा वादी के पूर्वजों की खातेदारी भूमि कभी नहीं रही है। अपितु स्वयं वादीगण के प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात प्रदर्श 1 प्रदर्श 2 प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी संवत 2012-2015, 2016-2019, 2020-2033 व प्रदर्श 25 जमाबंदी खतौनी संवत् 2008-2027 के अनुसार वादग्रस्त भूमि राज.काश्त अधिनियम प्रभाव आने के पूर्व से ही प्रतिवादी 1 के पूर्वज सांवता (सांवतिया) पुत्र रामनाथ के नाम एकल कब्जा काश्तधारी के रूप में दर्ज रही है तथा राज.काश्त.अधिनियम के प्रभाव में आने पर खसरा गिरदावरी संवत 2012-2015 (प्रदर्श 1) के अनुसार भी भूमि वादग्रस्त मूल खसरा नं. 668, 670, 670/737 प्रतिवादी 1 के पूर्वज सांवता (सांवतिया) पुत्र रामनाथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज अंकित हुई है। जो प्रतिवादी 1 के पक्ष में निरन्तर बदस्तूर अंकित है। वादी द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2020-2033 अनुसार कृषक के रूप में प्रतिवादी 1 के पूर्वज सांवतिया पुत्र रामनाथ के साथ उप कृषक के रूप में वादी का नाम अंकित होने मात्र के आधार पर एवं प्रतिकूल कब्जे के अवधारणा के अन्तर्गत प्रतिवादी 1 की प्रचलित अभिलिखित खातेदारिता की भूमि की खातेदारी अधिकारिता चाही गई है जबकि निरन्तर खसरा गिरदावरियों में प्रतिवादी 1 के पूर्वज का नाम बतौर कृषक स्पष्ट रूप से अंकित है। जो काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से ही प्रतिवादी 1 के निरन्तर कब्जा काश्त को प्रमाणित करती है। ऐसी स्थिति में उप कृषक के रूप में कृषक/खातेदार की भूमि की अधिकारिता प्राप्त करने का वादी का कोई औचित्य पूर्ण अधिकार सिद्व नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो लगान रसीदे प्रदर्श 7 से प्रदर्श 20 तथा प्रदर्श 40, 41 स्वयं वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई है। उनके अनुसार भी खातेदार/भूमिधारी का नाम सांवलिया पुत्र रामनाथ (प्रतिवादी 1 का पिता) स्पष्ट रूप से अंकित है। यद्यपि लगान राशि वादी झूथा द्वारा [illegible] की ओर से राशि जमा कराने मात्र के आधार पर जमाकर्ता को खातेदारी अधिक[illegible] हो सकते है। इसके साथ ही स्वयं वादी के प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श 38 व प्रदर्श [illegible] लगान [illegible] दिनांक 03.08.1955 जो कि राज.काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने (वर्ष 1955) पर प्रतिवादी [illegible] सांवतिया पुत्र रामनाथ के नाम जारी है, वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में कब्जा काश्त [illegible] के पिता सांवतिया (सांवता) पि. रामनाथ का सिद्व/प्रदर्शित करती है तथा साक्ष्य [illegible] जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त संवत 2008-2027, जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त संवत 2007-20[illegible] राज.काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व की स्थिति अनुसार भी कब्जा काश्त व खातेदारी [illegible]कारिता प्रतिवादी 1 के पिता सांवतिया पुत्र रामनाथ की प्रदर्शित करती है। इस प्रकार स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर प्रतिवादी 1 के पूर्वज सांवता के कृषक के रूप में कब्जा काश्त व लगान देयता के आधार पर प्रदत्त खातेदारिता के पश्चात आगामी वर्षो के राजस्व रिकॉर्ड व खसरा गिरदावरियों में कृषक के रूप में प्रतिवादी 1 के पूर्वज के साथ उप कृषक मात्र के रूप में दर्ज स्वयं के नाम के अंकन के आधार पर खातेदारिता प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है जबकि प्रचलित कब्जा काश्त व खातेदारिता के रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

झूथा बनाम भौरा व अन्य
वाद संख्या:–60/2013
निर्णय दिनांक:– 30.04.2025

में मूल कृषक के साथ उप कृषक के रूप में नाम के अंकन मात्र के आधार पर खातेदारिता का औचित्य पूर्ण व सक्षम आधार वादी को प्राप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भी मात्र प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारिता प्रदत्त नहीं की जा सकती है तथा काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही प्रचलित काश्तकार खातेदार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि की खातेदारिता सवर्ण जाति के व्यक्ति को प्रदत्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वादी भूमि वादग्रस्त की खातेदारी अधिकारिता प्राप्त करने के संदर्भ में सक्षम आधार को सिद्ध नहीं कर सका है। अतः वाद वादी सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested